कार्यालय संचालक

जल सहायता संगठन

राज्य जल मिशन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

भूतल, सतपुडा भवन, भोपाल

संविदा आधार पर जिला स्तरीय कंसलटेंट्स एवं विकास खंड स्तरीय समन्वयकों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन

(आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 08/ 10/ 2012)

"राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम" के अंतर्गत, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा गठित "राज्य जल सहायता संगठन" पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायक गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु संविदा आधार पर जिला स्तरीय कंसलटेंट्स एवं विकास खंड स्तरीय समन्वयकों की संविदा नियुक्ति पेयजल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा र्निदेशों के अनुसार की जाना है। उपरोक्त पदों हेतु वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यानुभव निम्नानुसार हैं :-

स. क्र.	पद नाम	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	कार्यानुभव	एक मुश्त मासिक देय राशि
1.	जिला स्तरीय मानव संसाधन विकास कंसलटेंट (50 पद)	शासन से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रबंधन / सामाजिक विज्ञान / सामाजिक कार्य विषय में कम से कम 65 % अंकों अथवा समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर उपाधि । कम्प्यूटर पर एम.एस.आफिस सॉफ्ट वेयर में कार्य करने में दक्षता ।	ग्रामीण विकास / सामुदायिक विकास / महिला सशक्तिकरण / जल एवं स्वच्छता हेतु गतिविधियाँ संचालित करने का कम से कम पाँच वर्ष का प्रबंधकीय / प्रशिक्षक स्तर का अनुभव जो एन.जी.ओ.#/ शासकीय विभाग / अर्धशासकीय संस्था अथवा शासन से शतप्रतिशत अनुदान प्राप्त संस्था का हो	अधिकतम रू 25,000/-
2.	जिला स्तरीय सूचना शिक्षा एवं संचार तथा इक्विटी कंसल्टेंट (50 पद)	शासन से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन / सामाजिक कार्य विषय में कम से कम 65 % अंकों अथवा समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर उपाधि ।कम्प्यूटर पर एम.एस.आफिस सॉफ्ट वेयर में कार्य करने में दक्षता ।	ग्रामीण विकास / सामुदायिक विकास / महिला सशक्तिकरण / जल एवं स्वच्छता से संबंधित गतिविधियों के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण का पाँच वर्ष का अनुभव जो एन.जी.ओ.#/ शासकीय विभाग / अर्धशासकीय संस्था अथवा शासन से शतप्रतिशत अनुदान प्राप्त संस्था का हो	अधिकतम रू 25,000/-
3.	जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सह सूचना प्रबंधन (मॉनिटरिंग एवं इवैल्युएशन कम एम.आई.एस.) कंसलटेंट (50 पद)	शासन से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी विषय में, कम से कम 65 % अंकों अथवा समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर उपाधि ।कम्प्यूटर पर एम.एस.आफिस सॉफ्ट वेयर में कार्य करने में दक्षता ।	ग्रामीण विकास / सामुदायिक विकास / महिला सशक्तिकरण / जल एवं स्वच्छता से संबंधित गतिविधियों के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करने का कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव जो एन.जी.ओ.#/ शासकीय विभाग / अर्धशासकीय संस्था अथवा शासन से शतप्रतिशत अनुदान प्राप्त संस्था का हो ।	अधिकतम रू 25,000/-

4.	जिला भूजलविद् कंसलटेंट (44 पद)	शासन से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भू गर्भ शास्त्र विषय में , कम से कम 65 % अंकों अथवा समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर उपाधि एवं कम्प्यूटर पर MS Office में कार्य करने में दक्षता ।	ग्रामीण जल प्रदाय / ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में सेटेलाइट डाटा, हाईड्रोजियोमोरफोलोजिकल मेप (Hydrogeomorphiological Map), जिओफिजिकल सर्वेक्षण (Geophysical Investigation) तथा टोपो शीट (Toposheet) के उपयोग का कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव जो एन.जी.ओ.#/ शासकीय विभाग / राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय स्तर की प्रतिष्ठित शासकीय अथवा अर्धशासकीय संस्था अथवा शासन से शतप्रतिशत अनुदान प्राप्त संस्था का हो	अधिकतम रू 25,000/-
5.	विकासखंड स्तरीय संयोजक (तकनीकी) **(313 पद)**	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय कम से कम 65 प्रतिशत अंकों अथवा समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातक उपाधि । कम्प्यूटर पर एम.एस.आफिस सॉफ्ट वेयर में कार्य करने में दक्षता ।	ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं / जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम / ग्रामीण स्वच्छता के संबंध में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति / ग्राम पंचायतों के साथ कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव, जो एन.जी.ओ.#/ शासकीय विभाग / अर्धशासकीय संस्था अथवा शासन से शतप्रतिशत अनुदान प्राप्त संस्था का हो	रुपये 10150/- प्रतिमाह

केवल उन गैर सरकारी संगठनों (NGO) द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किये जायेंगे, जिन्हें शासन से वित्तीय सहायता प्राप्त होती हो एवं जिनका विगत दो वर्षों में टर्न ओवर कम से कम रुपये 20.00 लाख प्रतिवर्ष का हो, साथ ही उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में कार्य किया हो ।

चयन ऑन लाइन परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा, जो mponline द्वारा आयोजित की जायेगी । उपरोक्त पदों हेतु ऑन लाइन आवेदन पत्र, जो कि Website "mponline.gov.in" पर उपलब्ध हैं, दिनाँक 17/09/12 रात्रि 12 बजे से दिनाँक 08/10/12 रात्रि 12.00 बजे तक भरे जा सकेंगे । आवेदन शुल्क जो रुपये 600/- (छः सौ) है, नेट बैंकिंग/क्रेडिट/ डेविट कार्ड के माध्यम से अथवा mponline के कियोस्क पर नकद जमा की जा सकती है । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विकलाँग अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क से छूट रहेगी उन्हें सिर्फ पोर्टल शुल्क जो कि रुपये 50/- प्रति आवेदन है, देना होगा । शेष अभ्यर्थियों का पोर्टल शुल्क, आवेदन शुल्क में ही सम्मिलित रहेगा, अर्थात उन्हें रुपये 600/- के अतिरिक्त कोई राशि नहीं देना होगी । ऑन लाइन परीक्षा का आयोजन दिनाँक 20 एवं 21/10/12 को mponline के इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, सतना एवं रीवा स्थित चिन्हित केन्द्रों पर किया जायेगा ।

उपरोक्त संविदा नियुक्तियाँ सामान्यतः अनुबंध सम्पादित करने की दिनाँक से एक वर्ष के लिये ही होंगी,जिन्हें आवश्यकता होने पर एवं सेवा प्रदाता की परफोर्मेंस संतोषजनक होने पर आवश्यकतानुसार बढाया जा सकेगा । क्रमाँक 1 से 4 तक के पदों हेतु आयु दिनाँक 30/09/12 को 25 वर्ष से कम एवं समस्त प्रकार की छूटों के लाभ के उपरांत भी 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये । जबकि क्रमाँक 5 पर उल्लेखित पद हेतु न्यूनतम आयुसीमा 21 वर्ष से कम एवं समस्त प्रकार की छूटों के लाभ के उपरांत भी 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये, अन्य वांछित अर्हताओं का विस्तृत विवरण एवं शर्तें / जानकारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की वेब साइट www.mpphed.gov.in एवं www.mponline.gov.in पर देख सकते हैं ।

संचालक

कार्यालय संचालक

जल सहायता संगठन

राज्य जल मिशन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

भूतल, सतपुडा भवन, भोपाल

संविदा आधार पर कंसलटेंट्स की नियुक्ति हेतु वांछित अर्हताओं एवं अन्य शर्ते / जानकारी

(आवेदन करने का अंतिम दिनांक 08 अक्टूबर 2012)

पेयजल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के "राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम" के क्रियान्वयन हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा "राज्य जल मिशन" का गठन किया गया है। इस मिशन के अन्तर्गत गठित "राज्य जल सहायता संगठन" पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत मानव संसाधन विकास (प्रशिक्षण), सूचना, शिक्षा एवं संचार तथा इक्विटी , मूल्याँकन एवं अनुश्रवण, हाइड्रोजियोलॉजी, वाटर क्वालिटी मोनीटिरिग एण्ड सर्विलेंस जैसी सहायक गतिविधियों के संचालन हेतु संविदा आधार पर कंसलटेंट्स , की सेवायें पेयजल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार लेने हेतु इच्छुक है। कंसलटेंट्स व्दारा संम्पादित किये जाने वाले कार्य, न्यूनतम अर्हतायें / शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यानुभव निम्नानुसार हैं-

1. जिला स्तरीय मानव संसाधन विकास कंसलटेंट

पदों की संख्या- 50

मासिक नियत देय राशि - रू 25,000/- एवं "बी" श्रेणी अधिकारी / कर्मचारी के समतुल्य यात्रा भत्ता

संम्पादित किये जाने वाले कार्यः-

मानव संसाधन एवं विकास के क्षेत्र से संबंधित कार्य :-

- प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आंकलन कर ग्रामीण जल प्रदाय के क्षेत्र में विकास खंड स्तरीय एवं पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण माड्यूलों का विकास करना।
- क्षमता विकास हेतु जिला स्तरीय वार्षिक योजना तैयार करना / प्रशिक्षण केलेण्डर तैयार करना तथा क्षमता विकास हेतु विकासखंड रिसोर्स सेंटर्स / पंचायत स्तरीय प्रशिक्षणों की वार्षिक योजनायें / प्रशिक्षण केलेण्डर तैयार करने मे विकासखंड रिसोर्स सेंटर्स को मार्गदर्शन प्रदान करना।
- मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के अर्न्तगत विकास खंडों से प्राप्त प्रतिवेदनों की समीक्षा एवं विश्लेषण करना तथा आवश्यकतानुसार कार्यवाही करना ।
- राज्य द्वारा मानव संसाधन एवं विकास हेतु जिलों को मुक्त की गयी राशि का लेखा रखना एवं उन्हें अद्यतन करना ।
- विकासखंडों से भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त करना एवं संकलित कर जिलों की मासिक/ त्रैमासिक/ वार्षिक आन लाईन प्रगति प्रतिवेदन राज्य जल मिशन को उपलब्ध कराना तथा भारत शासन

की वेबसाईट पर अपलोड करना ।

- समय समय पर दिये र्निदेशानुसार, कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करने हेतु जिले में भ्रमण करना।

- त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदनों का विश्लेषण कर, ंविकास खण्ड स्तर पर विचार विमर्श एवं समीक्षा हेतु आधार दस्तावेज तैयार करना ।

- संचालक, राज्य जल मिशन एवं संबंधित जिले के कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य याँत्रिकी विभाग व्दारा सौंपे गये सभी कार्य कार्य ।

न्यूनतम अर्हतायेंः-

1. शासन से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रबंधन / सामाजिक विज्ञान / सामाजिक कार्य विषय में कम से कम 65 % अंकों अथवा समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर उपाधि । कम्प्यूटर पर एम.एस.आफिस सॉफ्ट वेयर में कार्य करने में दक्षता । ग्रामीण विकास / सामुदायिक विकास / महिला सशक्तिकरण / जल एवं स्वच्छता हेतु गतिविधियाँ संचालित करने का कम से कम पाँच वर्ष का प्रबंधकीय / प्रशिक्षक स्तर का अनुभव जो एन.जी.ओ.#/ शासकीय विभाग / अर्धशासकीय संस्था अथवा शासन से शतप्रतिशत अनुदान प्राप्त संस्था का हो ।
2. प्रशिक्षण रणनीति के विकास, क्रियान्वयन तथा किये गये कार्यो के प्रभाव का आकलन (Impact Assessment) करने का अनुभव
3. सहभागिता विधियों का ज्ञान एवं उपयोग की जानकारी अतिरिक्त योग्यता मानी जायेगी ।
4. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में ग्रामीण जल प्रदाय एवं स्वच्छता के क्षेत्र में अनुभव प्राप्त उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जावेगी।
5. कम्प्युटर संम्बन्धी ज्ञान एवं उपयोग करने की योग्यता विशेषतः एम.एस.ओफिस एवं ग्राफिक्स का ज्ञान होना आवश्यक है।
6. ग्रामीण जल प्रदाय एवं स्वच्छता कार्यक्रमों, पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली तथा अशासकीय संस्थाओं के तंत्र का अच्छा ज्ञान एवं अनुभव।
7. इंटरनेट वेब आधारित रिपोर्ट, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्यक्रमों का ज्ञान वांछनीय है।
8. उम्मीदवार की लेखन एवं भाषण क्षमता उत्कृष्ट होना चाहिये।
9. बिना किसी लिपिकीय (टायपिस्ट / स्टेनो)सहयोग के स्वतंत्र रूप से स्वयं के कम्प्यूटर पर लेखन कार्य करने में दक्षता।
10. विकास से संबंधित बिन्दुओं तथा सामाजिक नीतियों की अद्यतन जानकारी के साथ साथ विभिन्न शासकीय विभागों, संसाधन संस्थानों, अशासकीय संस्थाओं एवं विशेषज्ञों के साथ समन्वय स्थापित करने का अनुभव होना चाहिये।
11. विभिन्न सहयोगियों के साथ सुदृढ कार्य संबंध स्थापित करने की योग्यता, विश्लेषण तथा वार्ता करने की योग्यता ।

2. जिला स्तरीय सूचना शिक्षा एवं संचार तथा इक्विटी कंसल्टेंट

पदों की संख्या- 50

अधिकतम एक मुश्त मासिक देय राशि - रू 25,000/- एवं "बी" श्रेणी के अधिकारी के समतुल्य यात्रा भत्ता ।

सूचना, शिक्षा एवं संचार के क्षेत्र से संबंधित कार्यः-

- ग्रामीण जल प्रदाय एवं स्वच्छता कार्यक्रम के अर्न्तगत सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों से संबंधित समस्त कार्य ।
- ग्रामीण जल प्रदाय एवं स्वच्छता क्षेत्र के कार्यक्रमों की संचार गतिविधियों हेतु मार्गदर्शिका, मार्गदर्शी नियमावली तथा तकनीकी टीपों का विकास करना।
- जिला स्तरीय सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों की वार्षिक कार्य योजना तैयार करना तथा विकास खंड रिसोर्स सेंटर्स को उनकी वार्षिक कार्य योजना तैयार करने में मार्गदर्शन प्रदान करना।
- जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में सूचना, शिक्षा एवं संचार के उपलब्ध साहित्य को सभी विकासखंडों एवं पंचायतों तक पहुंचाने हेतु समन्वय करना।
- कार्यक्रमों की सफलता / उत्तम प्रक्रियाओं/ संस्थागत व्यवस्थाओं का दस्तावेजीकरण करना।
- जल संरक्षण एवं सदुपयोग, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा पर सेमीनार, कार्यशाला एवं समीक्षा बैठकों को जिले में आयोजित करने में सहयोग प्रदान करना तथा इनके लिये पठनीय साहित्य तथा आधारभूत दस्तावेज तैयार करना।
- जिला स्तरीय कार्यक्रम क्रियान्वयन संस्थाओं को, ग्रामीण जल प्रदाय व्यवस्था एवं समग्र स्वच्छता से संबंधित सूचना, शिक्षा एवं संचार विषयों पर परामर्श प्रदान करना : (विशेषतः मांग पैदा करना/ प्रचार प्रसार, हाइजीन का प्रचार, विद्यालयीन स्वच्छता एवं हाइजीन, तकनीकी विकल्प, वैकल्पिक वितरण प्रणाली (Alternate Delivery Mechanism), जल एवं स्वच्छता हेतु सूक्ष्म वित्तीय व्यवस्था (Micro-financing for Water and Sanitation)
- जिला एवं विकास खण्ड स्तर पर विचार विमर्श एवं समीक्षा हेतु मासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तैयार करना तथा जिले के विभिन्न विकासखंडों की प्रगति का संकलन करना एवं राज्य स्तर पर प्रेषित करना तथा राज्य शासन एवं भारत शासन की वेबसाईट पर अपडेट कराना ।
- संचालक, राज्य जल मिशन एवं संबंधित जिले के कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य याँत्रिकी विभाग व्दारा सौंपे गये सभी कार्य कार्य ।

न्यूनतम अर्हतायेंः-

1. शासन से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन / सामाजिक कार्य विषय में कम से कम 65 % अंकों अथवा समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर उपाधि ।कम्प्यूटर पर एम.एस.आफिस सॉफ्ट वेयर में कार्य करने में दक्षता ।कम्प्यूटर के उपयोग का ज्ञान एवं योग्यता विशेषतः Micro Soft Office Software में

टेक्सट एवं ग्राफिक्स में कार्य करने का ज्ञान साथ ही एम.एस.एक्सेल पर आंकडों की प्रविष्टि एवं उनके विश्लेषण में सक्षमता ।ग्रामीण विकास / सामुदायिक विकास / महिला सशक्तिकरण / जल एवं स्वच्छता से संबंधित गतिविधियों के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण का पाँच वर्ष का अनुभव जो एन.जी.ओ.#/ शासकीय विभाग / अर्धशासकीय संस्था अथवा शासन से शतप्रतिशत अनुदान प्राप्त संस्था का हो ।

2. इंटरनेट वेब आधारित रिपोर्ट, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्यक्रमों का ज्ञान वांछनीय है।
3. हिन्दी एवं इंग्लिश भाषा में लेखन एवं मौखिक कुशलता ।
4. बिना किसी लिपिकीय (टायपिस्ट / स्टेनो)सहयोग के स्वतंत्र रूप से स्वयं के कम्प्यूटर पर टंकण कार्य करने में दक्षता।
5. विकास से संबंधित बिन्दुओं तथा सामाजिक नीतियों की अद्यतन जानकारी के साथ साथ विभिन्न शासकीय विभागों, संस्थानों, अशासकीय संस्थाओं एवं विशेषज्ञों के साथ समन्वय स्थापित करने का अनुभव होना चाहिये।
6. विभिन्न सहयोगियों के साथ सुदृढ कार्य संबंध स्थापित करने की योग्यता, विश्लेषण तथा वार्ता करने की योग्यता का अतिरिक्त लाभ दिया जावेगा।

3. जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सह सूचना प्रबंधन (मॉनिटरिंग एवं इवैल्यूएशन कम एम.आई.एस.) कंसलटेंट

पदों की संख्या- 50

मासिक नियत देय राशि - रू 25,000/- "बी" श्रेणी के अधिकारी के समतुल्य यात्रा भत्ता ।

संम्पादित किये जाने वाले कार्यः-

- ग्रामीण जल प्रदाय एवं स्वच्छता क्षेत्र के अन्तर्गत विभाग द्वारा जिले में क्रियान्वित किये जा रहे समस्त कार्यक्रमों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति को अपडेट करना एवं ऑन लाइन रिपोर्ट करना।
- जिले में ग्रामीण जल प्रदाय एवं स्वच्छता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का स्वतंत्र रूप से अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।
- भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदनों का विश्लेषण कर जिला जल एवं स्वच्छता समिति / राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन / राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (SWSM/ SLSSC) की बैठकों हेतु प्रतिवेदन बनाना।
- ग्रामीण जल प्रदाय एवं स्वच्छता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में जिलों/ विकासखंड रिसोर्स सेंटर्स / पंचायतों, व्दारा अपनायी जा रही प्रक्रियाओं का सूक्ष्म विश्लेषण कर समीक्षात्मक प्रतिवेदन बनाना।
- महत्वपूर्ण एवं मुख्य संसाधन संस्थानों से समन्वय स्थापित कर अनुश्रवण प्रणाली(Monitoring Network) का विकास करना।
- ग्रामीण जल प्रदाय एवं स्वच्छता के कार्यक्रमों के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु जिला स्तरीय समीक्षा बैठकों / सेमीनारों / कार्यशालाओं के आयोजनों में सहायता करना।
- विकास खण्डों एवं जिले व्दारा अपनायी गयी अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रणाली के आंकलन हेतु जिले में भ्रमण करना तथा संचालक राज्य जल मिशन एवं संबंधित जिले के कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
- संचालक राज्य जल मिशन तथा कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग व्दारा सौपे गये सभी संबंधित दायित्वों का निर्वहन करना।

न्यूनतम अर्हतायेंः-

1. शासन से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी विषय में, कम से कम 65 % अंकों अथवा समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर उपाधि ।कम्प्यूटर पर एम.एस.आफिस सॉफ्ट वेयर में कार्य करने में दक्षता ।ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं , ग्रामीण विकास कार्यक्रमों तथा पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली का अच्छा ज्ञान।ग्रामीण विकास / सामुदायिक विकास / महिला सशक्तिकरण / जल एवं स्वच्छता से संबंधित गतिविधियों के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करने का कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव जो एन.जी.ओ.#/ शासकीय विभाग / अर्धशासकीय संस्था अथवा शासन से शतप्रतिशत अनुदान प्राप्त संस्था का हो ।
2. ग्रामीण जल प्रदाय एवं स्वच्छता/ ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से संबंधित अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा

गतिविधियों का ज्ञान।

3. कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं विभिन्न प्रचलित सॉफ्टवेयर्स के अद्यतन संस्करणों तथा कम्प्यूटर्स की नेटवर्किंग आदि का अच्छा ज्ञान ।
4. कम्प्यूटर के उपयोग का ज्ञान एवं योग्यता विशेष रूप से Micro Soft Office Software में Text एवं ग्राफिक्स का ज्ञान
5. इंटरनेट वेब आधारित रिपोर्ट, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्यक्रमों का ज्ञान वांछनीय है।
6. हिन्दी एवं इंग्लिश भाषा में लेखन एवं मौखिक कुशलता
7. बिना किसी लिपिकीय (टायपिस्ट / स्टेनो)सहयोग के स्वतंत्र रूप से स्वयं के कम्प्यूटर पर लेखन कार्य करने में दक्षता।
8. विकास से संबंधित बिन्दुओं तथा सामाजिक नीतियों की अद्यतन जानकारी के साथ साथ विभिन्न शासकीय विभागों, संस्थानों, अशासकीय संस्थाओं एवं विशेषज्ञों के साथ समन्वय स्थापित करने का अनुभव होना चाहिये।
9. विभिन्न सहयोगियों के साथ सुदृढ कार्य संबंध स्थापित करने की योग्यता, विश्लेषण तथा वार्ता करने की योग्यता का अतिरिक्त लाभ दिया जावेगा।

4.भूजलविद् कंसलटेंटः-

पदों की संख्या- 44

मासिक नियत देय राशि - रू 25,000/- एवं "बी" श्रेणी अधिकारी के समतुल्य यात्रा भत्ता ।

सम्पादित किये जाने वाले कार्यः-

- जिले में स्थित, ग्रामीण जल प्रदाय के वर्तमान पेयजल स्रोतों का विश्लेषण कर, पेयजल सुरक्षा प्राप्त करने हेतु योजनायें बनाना । विशेषतः जनजातीय क्षेत्र, केन्द्रीय भूजल बोर्ड/ राज्य शासन व्दारा चिन्हित किये गये जलगुणवत्ता से प्रभावित क्षेत्र,डार्क / ग्रे क्षेत्र, पेयजल उपलब्धता के मान से कठिन एवं जल तनाव क्षेत्र हेतु।

- जिले में स्थापित / स्थित पेयजल स्रोंतो को दीर्घजीवी बनाने हेतु विभिन्न प्रकार के स्रोतों जैसे भूजल, सतही जल, वर्षा के छतीय जल की उपलब्धता के आधार पर कार्यक्रम / योजना तैयार करना एवं योजनायें स्वीकृति हेतु कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य याँत्रिकी विभाग को प्रस्तुत करना एवं स्वीकृति के उपरांत क्रियान्वयन में सहयोग करना ।

- जिले से संबंधित सेटेलाइट डाटा, हाड्रोजिओमॉरफोलाजिकल मैप (Hydrogeomorphiological Map), जिओफिजिकल सर्वेक्षण (Geophysical Investigation) तथा टोपो शीट (Toposheet) के उपयोग कर भूजल स्रोत/ भूजल पुर्नभरण (Ground water Recharge) संरचनाओं का स्थल चयन करने,रूपांकन, निर्माण एवं रख रखाव हेतु महत्वपूर्ण एवं मुख्य संसाधन संस्थानों से समन्वय स्थापित कर सभी संबंधितों को प्रशिक्षण प्रदान करना एवं आयोजित करना।

- भूजल क्षेत्र के अन्तर्गत जिले में विभाग द्वारा क्रियान्वित समस्त कार्यक्रमों की ऑन लाइन प्रगति प्रतिवेदनों को अद्यतन रखना ।

- भूजल क्षेत्र के अर्न्तगत विभाग द्वारा जिले में क्रियान्वित समस्त कार्यक्रमों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन स्वतंत्र रूप से करना एवं भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदनों का विश्लेषण कर जिला जल एवं स्वच्छता समिति / राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन / राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (SWSM/ SLSSC) की बैठकों हेतु प्रतिवेदन बनाना।

- जिले के विभिन्न विकास खण्डों एवं विभिन्न पंचायतों का भ्रमण कर भूजल स्रोत / भूजल पुर्नभरण (Ground water Recharge) संरचनाओं के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना तथा संचालक को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

- जिले में क्रियान्वित की गयी भू-जल संवर्धन योजनाओं के प्रभाव का आंकलन करना ।

- संचालक, राज्य जल मिशन एवं कार्यपालन यंत्री, लो.स्वा.याँ.वि. व्दारा दिये गये अन्य संबंधित दायित्वों का निर्वहन करना ।

न्यूनतम अर्हतायेंः-

1. शासन से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भू गर्भ शास्त्र विषय में , कम से कम 65 % अंकों अथवा समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर उपाधि एवं कम्प्यूटर पर MS Office में कार्य करने में दक्षता ।कम्प्यूटर के उपयोग का ज्ञान एवं योग्यता विशेषतः Micro Soft Office Software में Text एवं ग्राफिक्स का ज्ञान । ग्रामीण जल प्रदाय / ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में सेटेलाइट डाटा, हाईड्रोजियोमोरफोलोजिकल मेप (Hydrogeomorphiological Map), जिओफिजिकल सर्वेक्षण (Geophysical Investigation) तथा टोपो शीट (Toposheet) के उपयोग का कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव जो एन.जी.ओ.#/ शासकीय विभाग / राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय स्तर की प्रतिष्ठित शासकीय अथवा अर्धशासकीय संस्था अथवा शासन से शतप्रतिशत अनुदान प्राप्त संस्था का हो ।
2. इंटरनेट वेब आधारित रिपोर्ट, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्यक्रमों का ज्ञान वांछनीय है।
3. हिन्दी एवं इंग्लिश भाषा में लेखन एवं मौखिक कुशलता ।
4. बिना किसी लिपिकीय (टायपिस्ट / स्टेनो)सहयोग के स्वतंत्र रूप से स्वयं के कम्प्यूटर पर लेखन कार्य करने में दक्षता।
5. विकास से संबंधित बिन्दुओं तथा सामाजिक नीतियों की अद्यतन जानकारी के साथ साथ विभिन्न शासकीय विभागों, संस्थानों, अशासकीय संस्थाओं एवं विशेषज्ञों के साथ समन्वय स्थापित करने का अनुभव होना चाहिये।
6. विभिन्न सहयोगियों के साथ सुदृढ कार्य संबंध स्थापित करने की योग्यता, विश्लेषण तथा वार्ता करने की योग्यता का अतिरिक्त लाभ दिया जावेगा ।

1. विकासखंड स्तरीय कोआर्डिनेटर (तकनीकी)

पदों की संख्या- 313

मासिक नियत देय राशि - रू 10150/- एवं "सी" श्रेणी के कर्मचारी के समतुल्य यात्रा भत्ता ।

विकासखंड स्तरीय कोआर्डिनेटर (तकनीकी) से संबंधित कार्य :-

1. ग्रामीणों को ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के गठन में मदद करना ।
2. ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों में शुद्ध पेयजल की उपयोगिता के संबंध में जागरूकता पैदा करना एवं संचार गतिविधियों का विकास करना ।
3. ग्राम पंचायत सदस्यों/ ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समितियों के सदस्यों एवं कार्यक्रम से संबंधित अन्य कार्यकर्ताओं के लिये विभिन्न पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण आयोजित करना ।
4. प्रशिक्षण, सूचना शिक्षा एवं संचार गतिविधियों का वार्षिक कलेंडर तैयार करना एवं कलेंडर के अनुरूप गतिविधियों का संचालन करना ।
5. उनके कार्यक्षेत्र में स्थापित स्त्रोतों के सर्वेक्षण, सैनिटरी सर्वे आदि के कार्य में ग्राम पंचायतों / स्वस्थ ग्राम समितियों की मदद करना एवं आधार भूत आंकडे तैयार कराना ।
6. ग्राम की जल सुरक्षा योजनायें तैयार करने में ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समितियों की मदद करना ।
7. ग्राम की कार्ययोजना के प्रावधानों के अनुसार नल जल प्रदाय एवं स्वच्छता योजनाओं के क्रियान्वयन के मूल्याँकन एवं अनुश्रवण में ग्राम पंचायतों / ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समितियों की सहायता करना ।
8. जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम के कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय स्थापित करना एवं सुनिश्चित करना कि वे जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम के अधीन गतिविधियों का संचालन करें ।
9. पंचायत सदस्यों, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाडी कार्यकर्ताओं, स्वयं सेवी समूहों, महिला एवं युवक मंडलों के सदस्यों के साथ सतत संपर्क बनाये रखना एवं जल प्रदाय व्यवस्था एवं स्वच्छता के कार्यों की ओर ध्यानाकृष्ठ करना ।
10. विद्यार्थियों एवं शिक्षकों में स्वच्छ प्रक्रियाओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिये नियमित रूप से स्कूलों का भ्रमण करना ।
11. सोशल आडिट करने में ग्राम वासियों की मदद करना ।
12. उपखंडीय, जिला स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशालाओं के साथ समन्वय बनाये रखना तथा जल नमूनों के परीक्षण परिणामों से ग्राम वासियों को अवगत कराना, साथ ही शुद्ध पेयजल की उपलब्धता बनाये रखने हेतु क्या कार्यवाही की जाना है इस संबंध में पंचायतों / ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समितियों को मार्गदर्शन देना ।
13. विकासखंड में स्थापित जल स्त्रोतों / वसाहटों से संबंधित आंकडों को सूचना प्रबंधन प्रणाली पर अद्यतन करने हेतु विभाग को आवश्यक सहयोग प्रदान करना ।

न्यूनतम अर्हतायेंः-

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय कम से कम 65 प्रतिशत अंकों अथवा समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातक उपाधि । कम्प्यूटर पर एम.एस.आफिस सॉफ्ट वेयर में कार्य करने में दक्षता ।
2. ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं / जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम / ग्रामीण स्वच्छता के संबंध में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति / ग्राम पंचायतों के साथ कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव, जो एन.जी.ओ.[#]/ शासकीय विभाग / अर्धशासकीय संस्था अथवा शासन से शतप्रतिशत अनुदान प्राप्त संस्था का हो ।
3. सहभागिता विधियों का ज्ञान एवं उपयोग की जानकारी अतिरिक्त योग्यता मानी जायेगी ।
4. समान अंक होने पर, ग्रामीण जल प्रदाय एवं स्वच्छता के क्षेत्र में अनुभव प्राप्त उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जावेगी।
5. कम्प्यूटर संम्बन्धी ज्ञान एवं उपयोग करने की योग्यता विशेषतः एम.एस.ऑफिस एवं ग्राफिक्स का ज्ञान होना आवश्यक है।
6. ग्रामीण जल प्रदाय एवं स्वच्छता कार्यक्रमों, पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली तथा अशासकीय संस्थाओं के तंत्र का अच्छा ज्ञान एवं अनुभव।
7. उम्मीदवार की लेखन एवं भाषण क्षमता उत्कृष्ट होना चाहिये।
8. बिना किसी लिपिकीय (टायपिस्ट / स्टेनो)सहयोग के स्वतंत्र रूप से स्वयं के कम्प्यूटर पर लेखन कार्य करने में दक्षता।
9. विकास से संबंधित बिन्दुओं तथा सामाजिक नीतियों की अद्यतन जानकारी के साथ साथ विभिन्न शासकीय विभागों, संसाधन संस्थानों, अशासकीय संस्थाओं एवं विशेषज्ञों के साथ समन्वय स्थापित करने का अनुभव होना चाहिये।
10. विभिन्न सहयोगियों के साथ सुदृढ कार्य संबंध स्थापित करने की योग्यता, विश्लेषण तथा वार्ता करने की योग्यता ।

अन्य विवरणः

1. उपरोक्त सभी नियुक्तियां एक वर्ष हेतु की जावेंगी जिन्हें अभ्यर्थी के कार्यों के मूल्यांकन एवं आपसी सहमति के आधार पर एक वर्ष हेतु बढाया जा सकेगा।
2. उपरोक्त सभी नियुक्तियां पूर्णतः संविदा आधार पर हैं, एवं इन्हें राज्य अथवा केन्द्र शासन अधीन किसी भी प्रकार से नियमित नियुक्तियों हेतु विचारणीय नहीं माना जावेगा।
3. चयन ऑन लाइन परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा, जो mponline द्वारा आयोजित की जायेगी । उपरोक्त पदों हेतु ऑन लाइन आवेदन पत्र, जो कि Website "mponline.gov.in" पर उपलब्ध हैं, दिनाँक 17/09/12 रात्रि 12 बजे से दिनाँक 08/10/12 रात्रि 12.00 बजे तक भरे जा सकेंगे । आवेदन शुल्क जो रुपये 600/- (छः सौ) है, नेट बैंकिंग/क्रेडिट/ डेविट कार्ड के माध्यम से अथवा mponline के कियोस्क पर नकद जमा की जा सकती है । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विकलाँग अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क से छूट रहेगी, उन्हें पोर्टल शुल्क रुपये 50/- (रुपये पचास मात्र) का भुगतान करना होगा, अन्य अभ्यर्थियों का पोर्टल शुल्क आवेदन शुल्क में ही सम्मिलित है, उन्हें रुपये 600/- के अतिरिक्त कोई भुगतान नहीं करना होगा । ऑन लाइन परीक्षा का आयोजन दिनाँक 20 एवं 21/10/12 को mponline के इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, सतना एवं रीवा स्थित चिन्हित केन्द्रों पर किया जायेगा ।
4. उपरोक्त पदों में शासन के नियमानुसार आरक्षण लागू होगा ।

आयु सीमा : उम्मीदवारों के लिये आवेदन करने की अधिकतम आयु सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद भी, दिनाँक 30.09.12 को 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये ।

चयन प्रक्रिया : उम्मीदवारों के चयन हेतु कुल 100 अंक होंगे, जिनमें से ऑन लाईन परीक्षा में प्राप्त अंक, स्नातक / स्नातकोत्तर परीक्षा में प्राप्त अंक एवं अनुभव का weightage निम्नानुसार होगा :-

ऑन लाईन परीक्षा में प्राप्त अंक	:	70
स्नातक / स्नातकोत्तर परीक्षा में प्राप्त अंक *	:	20
अनुभव	:	10

* जिला स्तरीय कंसल्टेन्ट्स हेतु स्नातकोत्तर एवं विकासखंड स्तरीय समन्वयक (तकनीकी) के लिये स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंक विचारणीय होंगे ।

ऑन लाईन परीक्षा में पूंछे जाने वाले प्रश्न वस्तु निष्ठ प्रकार के होंगे, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न हेतु 4 विकल्प होंगे, इन विकल्पों में से एक ही सही होगा । उम्मीदवार को 120 मिनट की समयावधि में 100 प्रश्नों के उत्तर ऑन लाईन देने होंगे । प्रत्येक सही उत्तर के लिये एक अंक दिया जायेगा । गलत उत्तर के लिये कोई अंक नहीं काटे जायेंगे । 100 प्रश्नों में से 25 वस्तु निष्ठ प्रश्न सामान्य ज्ञान के , 25 वस्तु निष्ठ प्रश्न तार्किक ज्ञान के एवं शेष 50 प्रश्न विषय से संबंधित होंगे ।

परीक्षा केन्द्र : उम्मीदवार भोपाल, इंदौर, उज्जैन,ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना एवं सागर स्थित एम.पी.ऑन लाईन के चिन्हित केन्द्रों से परीक्षा दे सकेंगे ।

आरक्षण : उक्त भर्तियों में शासन के नियमानुसार पद आरक्षित रहेंगे ।

संचालक